मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2602

09.03.2026 को उत्तर के लिए

जनजातियों का पुनर्वास

2602. श्री राजकुमार रोत :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बाघ परियोजना के कारण अब तक विस्थापित हुए लोगों का राज्य, परियोजना और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जनजातीय समुदाय को सबसे अधिक विस्थापन का सामना करना पड़ा है, यदि हां, तो बाघ परियोजना के तहत विस्थापित हुए आदिवासियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के तहत उचित मुआवजा प्राप्त करने वाले विस्थापित जनजातीय परिवारों की संख्या कितनी है;

(घ) उनके पुनर्वास स्थलों का राज्य और परियोजना वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) अपने जीवनकाल में दो बार विस्थापित हुए परिवारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या देश में सभी बाघ परियोजनाओं के लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत प्रभावित ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की सहमति प्राप्त की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) बाघ संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण देश में किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ है। बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन ऐसे मापदंडों के अंतर्गत किया जाता है जो पारिस्थितिक संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों दोनों को प्राथमिकता देते हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V (5) के अंतर्गत दिए गए उपबंधों के अनुसार, भारत सरकार स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास की नीति निर्धारित करती है, जिसमें ग्राम सभा की स्वतंत्र और पूर्व जानकारी के आधार पर सहमति ली जाती है और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन

निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के साथ पठित उक्त अधिनियम में निहित स्वैच्छिकता के अनुरूप राज्यों द्वारा उचित सावधानी बरती जाती है, जिसमें बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों (महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास) से स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास के लिए प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध हैं।

उपरोक्त उपबंधों के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लोगों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक अधिक पहुंच और जानकारी प्राप्त हुई है, साथ ही बाघों और वन्यजीवों के लिए एक अबाधित स्थान का निर्माण हुआ है।

राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, बाघ अभ्यारण्यों से स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास की स्थिति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

अनुलग्नक-I

'जनजातियों का पुनर्वास' के संबंध में दिनांक 09.03.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2602 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार, बाघ संरक्षण से स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास की स्थिति का विवरण (03.03.2026 तक)

क्र. सं.	राज्य	कोर/क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में गांव	गांवों का स्थानांतरण	शेष गाँव	कोर/ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में परिवार	परिवारों का स्थानांतरण	शेष परिवार
1	आंध्र प्रदेश	17	0	17	4700	0	4700
2	अरुणाचल प्रदेश	8	0	8	450	0	450
3	असम	8	0	8	1268	0	1268
4	बिहार	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ	174	6	168	12156	249	11907
6	झारखंड	35	2	33	2575	138	2437
7	कर्नाटक	113	28	85	6991	1648	5343
8	केरल	0	0	0	0	0	0
9	मध्य प्रदेश	239	167	72	31251	14914	16337
10	महाराष्ट्र	83	65	18	13432	8672	4760
11	मिजोरम	2	1	1	463	452	11
12	ओडिशा	10	6	4	490	328	162
13	राजस्थान	119	14	105	17276	3376	13900
14	तमिलनाडु	64	6	58	4777	588	4189
15	तेलंगाना	98	0	98	3250	0	3250
16	उत्तर प्रदेश	16	0	16	3296	0	3296
17	उत्तराखंड	3	1	2	1704	1591	113
18	पश्चिम बंगाल	14	2	12	3597	242	3355
	कुल	**1003**	**298**	**705**	**107676**	**32198**	**75478**
